भारत सरकार
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

न्याय संहिता

'दण्ड से न्याय की ओर'

जन जागरूकता पत्रक



न्याय संहिता
आपकी जानकारी - आपका अधिकार - आपकी सुरक्षा

गृह मंत्रालय
Ministry of
HOME AFFAIRS

यह सूचना पत्रक आपको न्याय संहिता की मुख्य बातें सरल भाषा में समझाता है।

1 जुलाई 2024 से देश में न्याय संहिता लागू हो चुकी है। इन्होंने अंग्रेजों के जमाने के भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) का स्थान लिया है। न्याय संहिता का उद्देश्य दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता देना, आम नागरिक और पीड़ित को केंद्र में रखना, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना तथा विज्ञान व तकनीक की मदद से जांच और मुकदमे को तेज और पारदर्शी बनाना है।

विषय	नए कानून	पुराने कानून
अपराधों की परिभाषा और दंड	भारतीय न्याय संहिता, 2023	भारतीय दंड संहिता, 1860
जांच, गिरफ्तारी व मुकदमे की प्रक्रिया	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
साक्ष्य एकत्र करने व अदालत में प्रस्तुत करने के नियम	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

1 न्याय संहिता: बड़े बदलाव

- महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से जुड़े प्रावधानों को कानून में एक अलग हिस्से में रखा गया है, ताकि ऐसे अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
- जांच, गिरफ्तारी, चार्जशीट व फैसले के लिए निश्चित समय-सीमाएँ तय की गई हैं।
- अपराध कहीं भी हुआ हो, पीड़ित अपने नज़दीकी या किसी भी पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकता है।
- छोटे अपराधों के लिए जेल की जगह सज़ा के रूप में पहली बार 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) को शामिल किया गया है।
- उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाकर फैसला संभव



2 महिला सुरक्षा एवं संरक्षण



थानों में महिला हेल्प डेस्क
हर पुलिस स्टेशन में एक समर्पित महिला हेल्प डेस्क, जहाँ एक महिला अधिकारी/कर्मी महिलाओं व बालिकाओं की शिकायत सुनने व सहायता के लिए नियुक्त रहती है, ताकि पीड़िता सहज होकर अपनी बात कह सके।

महिला हेल्पलाइन नंबर 1091/181 पर भी 24X 7 सहायता उपलब्ध

- **महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध अपराध के लिए कड़े प्रावधान:** बलात्कार, छेड़छाड़, पीछा करना, बिना अनुमति निजी तस्वीर या वीडियो बनाना और दहेज से जुड़े अपराधों के लिए कानून में अलग से कड़े प्रावधान किए गए हैं।
- सामूहिक बलात्कार व बार-बार अपराध करने वालों के लिए कठोरतम सजा, कुछ मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है।
- यौन अपराधों में पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध – सोशल मीडिया (Social Media) व आम जनता दोनों के लिए प्रतिबंध लागू है।
- विवाह, रोजगार अथवा पदोन्नति का झूठा प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने को अब स्पष्ट रूप से एक दंडनीय अपराध माना गया है।
- बलात्कार के अपराध के संबंध में पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, यथासंभव पीड़िता की पसंद के स्थान पर व निजता बनाए रखते हुए दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
- **काम पर छेड़खानी के खिलाफ घर बैठे शिकायत:** अगर कोई महिला सरकारी या प्राइवेट नौकरी, दुकान या मजदूरी जैसे किसी भी काम में लगी है और उसके काम की जगह पर छेड़छाड़ या गलत व्यवहार होता है, तो वह सरकार के **SHe-Box पोर्टल** पर ऑनलाइन शिकायत कर सकती है।



न्याय संहिता
महिला सुरक्षा: सुरक्षा, सम्मान और अधिकार

3 बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रावधान



लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO), 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण से बचाने हेतु एक विशेष व सशक्त कानून है, जो न्याय संहिता के साथ मिलकर बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

- बच्चों के विरुद्ध **किसी भी प्रकार** का यौन शोषण, उत्पीड़न व अश्लील सामग्री में उपयोग, संगीन व गैर-जमानती अपराध हैं। गंभीर यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड तक की सज़ा का प्रावधान है।
- **कानून में पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान है।** उसका नाम, फोटो या ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए जिससे उसकी पहचान उजागर हो।
- कानून के अनुसार बच्चे का बयान सुरक्षित और सहज माहौल में, माता-पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी में, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना अनिवार्य है। यह अधिकारी कम-से-कम उप-निरीक्षक (SI) स्तर की होनी चाहिए।
- मामले की सुनवाई के दौरान, <u>बच्चे का आरोपी से कोई सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए</u> और सुनवाई बाल-अनुकूल विशेष न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।
- मामले की सुनवाई यथासंभव <u>एक वर्ष के भीतर</u> पूरी की जानी चाहिए।
- **बाल यौन शोषण की जानकारी होने पर उसे छुपाना भी दंडनीय है।** कानून के अनुसार ऐसी जानकारी पुलिस या संबंधित अधिकारी को देना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

बाल सुरक्षा: यदि किसी व्यक्ति को किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, शोषण या किसी अन्य प्रकार के संकट की आशंका हो, तो वह इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा निकटतम पुलिस थाने को दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान को गोपनीय रखा जाता है।

4 नागरिक - केंद्रित प्रावधान



ज़ीरो FIR: अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में हुआ हो, पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकता है। बाद में उस शिकायत को संबंधित थाने भेज दिया जाता है।

उदाहरण — यदि किसी व्यक्ति के साथ जयपुर से ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है और वह दिल्ली में है, तो वह दिल्ली में अपने नज़दीकी किसी भी पुलिस थाने में Zero FIR दर्ज करा सकता है। उसे FIR दर्ज कराने के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है।

- **FIR की निःशुल्क प्रति:** शिकायतकर्ता/पीड़ित को FIR की प्रति निःशुल्क और तुरंत प्राप्त करने का अधिकार है।
- **गिरफ्तारी की सूचना:** गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार/मित्र को गिरफ्तारी की जानकारी देना और थाने में गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
- **वकील से मिलने का अधिकार:** गिरफ्तारी के तुरंत बाद, पूछताछ के दौरान, व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है।
- **सामान्य/छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा:** छोटे अपराधों के लिए जेल की जगह सज़ा के रूप में 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) को शामिल किया गया है।
- **ऑनलाइन शिकायत:** नागरिक State Citizen Portal के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, Citizen Service Centre (नागरिक सेवा केंद्र) से भी सहायता ली जा सकती है।

उदाहरण - सामुदायिक सेवा : पहली बार छोटी-मोटी चोरी में पकड़े गए व्यक्ति को जेल भेजने की बजाय, अदालत कुछ घंटों की सामुदायिक सेवा (जैसे सार्वजनिक स्थान की सफाई) की सजा दे सकती है, जिससे सुधार का अवसर मिलता है।

5 पीड़ित - केंद्रित प्रावधान - जांच और मुकदमे के दौरान अधिकार



FIR दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। मना करने पर तुरंत वरिष्ठ अधिकारी/मजिस्ट्रेट से शिकायत की जा सकती है।

नए कानून में पीड़ित को सूचना, दस्तावेज़, केस की प्रगति और सुनवाई से जुड़े अधिकारों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

प्रावधान	पीड़ित को मिलने वाला अधिकार/लाभ
FIR/जांच की प्रगति की जानकारी	सूचनाकर्ता/पीड़ित को जांच के विभिन्न चरणों पर प्रगति की जानकारी देना पुलिस का दायित्व है।
दस्तावेज़ों की प्रति	एकीकृत के माध्यम से पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज़ों की प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।
मुकदमा वापसी की सुनवाई	पीड़ित की सुनवाई के बिना मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता है।
मुफ्त चिकित्सा उपचार	बलात्कार /एसिड अटैक पीड़ित का किसी भी अस्पताल (सरकारी या निजी) में तुरंत व निःशुल्क उपचार अनिवार्य है।
गवाह संरक्षण योजना	गवाहों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना लागू करना अनिवार्य है।
पीड़ित के लिए मुआवज़ा	पीड़ितों के लिए आर्थिक व पुनर्वास की सहायता राज्य सरकारों की मुआवज़ा योजना के तहत उपलब्ध है।

6 विज्ञान और तकनीक से जुड़े बदलाव



- **ई-FIR व ऑनलाइन शिकायत:** अपराधों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है; FIR पंजीकरण के लिए तीन दिन में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक है।
- **अनिवार्य फ़ोरेंसिक जांच:** 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले गंभीर अपराधों की घटनास्थल पर फ़ोरेंसिक टीम का दौरा व साक्ष्य जुटाना अनिवार्य है।
- **तलाशी व जब्ती की वीडियोग्राफी:** पुलिस द्वारा तलाशी और जब्ती की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है ताकि पारदर्शिता और साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ सके।
- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता:** E-mail, SMS, Whatsapp Chat, CCTV फुटेज आदि डिजिटल साक्ष्य अब कागज़ी दस्तावेज़ों के समान मान्य है।
- **इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन व नोटिस:** E-mail/SMS से भी अदालत के समन भेजे जा सकते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज़ होती है।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** आरोपी की पेशगी, बयान दर्ज करने व सुनवाई के कुछ चरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।

उदाहरण : मान लीजिए पंचायत भवन या गाँव की किसी सार्वजनिक जगह पर चोरी या तोड़फोड़ हुई। वहाँ लगे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग, मोबाइल से बनाई गई वीडियो या अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जाँच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं और अदालत में भी पेश किए जा सकते हैं।

7 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में निर्धारित समय सीमाएँ

न्याय में देरी को कम करने के लिए BNSS में जांच से लेकर फैसले तक हर महत्वपूर्ण चरण की समय-सीमा निर्धारित



चरण / Stage	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत समय-सीमा
प्रारंभिक जाँच (जहाँ आवश्यक)	अधिकतम 14 दिन के भीतर पूरी करना अनिवार्य है।
बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट	परीक्षण के 7 दिन के भीतर जांच अधिकारी को भेजना अनिवार्य है
आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल करना	सामान्यतः 60 या 90 दिनों के भीतर
अभियुक्त को दस्तावेज़ों की प्रति	अदालत में पेशी के 14 दिन के भीतर
आरोप तय करना	प्रथम सुनवाई से 60 दिन के भीतर
डिस्चार्ज आवेदन	प्रारंभिक कार्यवाही से 60 दिन के भीतर दाखिल किया जा सकता है
फैसला सुनाना (निर्णय)	बहस पूरी होने से 30 दिन में, विशेष कारणों से अधिकतम 45 दिन तक

8 थाने की भूमिका - किन अधिकारियों से संपर्क करें?



- **थाना प्रभारी (SHO):** किसी भी अपराध की FIR दर्ज कराने, शिकायत की स्थिति जानने या जांच में देरी की शिकायत के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी है।
- **ड्यूटी अधिकारी:** थाने में 24×7 उपस्थित रहकर शिकायत प्राप्त करने वाला अधिकारी - रात में भी संपर्क किया जा सकता है।
- **महिला हेल्प डेस्क अधिकारी:** महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित मामलों के लिए विशेष रूप से नियुक्त महिला अधिकारी होती है।
- **साइबर सेल:** जिला/राज्य स्तर पर साइबर अपराध की शिकायत हेतु विशेष प्रकोष्ठ, **cybercrime.gov.in** पोर्टल तथा **1930** हेल्पलाइन।
- **E-FIR एवं Zero FIR:** Electronic माध्यम से भेजी गई शिकायत का पंजीकरण एवं शिकायतकर्ता द्वारा 3 दिन के अन्दर हस्ताक्षर जरूरी है।
- **FIR दर्ज न होने या उचित कार्रवाई न होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक (SP)/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) या संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है।**

घटना/ समस्या → स्थानीय थाना (SHO/ड्यूटी अधिकारी/महिला हेल्प डेस्क) → FIR / शिकायत दर्ज → आवश्यकता पर DLSA से मुफ्त सहायता → जांच व न्यायिक संहिता

9 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण - मुफ़्त कानूनी सहायता



- प्रत्येक जिले में **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** (District Legal Services Authority) कार्यरत है, जो पात्र नागरिकों को पूर्णतः निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है।
- **कौन पात्र है :** महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य, दिव्यांगजन, आपदा/हिंसा/तस्करी के पीड़ित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा विचाराधीन कैदी।
- **क्या सहायता मिलती है:** मुफ़्त वकील, कानूनी सलाह, अदालती कार्यवाही में सहयोग, मध्यस्थता व लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटारा।
- **कैसे संपर्क करें:** जिला न्यायालय परिसर में स्थित **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)** कार्यालय में सीधे जाकर, तालुका विधिक सेवा समिति के माध्यम से, अथवा **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)** की **हेल्पलाइन 15100** पर कॉल करके संपर्क किया जा सकता है।
- पुलिस स्टेशन व अदालत परिसर में भी **विधिक सेवा सहायता केंद्र** (Legal Aid Center) उपलब्ध रहते हैं, जहाँ से DLSA से सीधा संपर्क कराया जाता है।

10 रोकथाम में समुदाय की भूमिका व नागरिक की ज़िम्मेदारी



सजग नागरिक, सुरक्षित समाज

अपराध की रोकथाम पुलिस और नागरिकों की साझा ज़िम्मेदारी है।

- किसी गंभीर अपराध की योजना या घटना की जानकारी होने पर पुलिस को तुरंत सूचित करना हर नागरिक का कर्तव्य है - **जानकारी छुपाना भी दंडनीय है।**
- **अनावश्यक पूछताछ /हाज़िरी से संरक्षण:** सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नागरिक को अनावश्यक पूछताछ या कानूनी परेशानी से सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि लोग मदद देने से न घबराएँ।
- मोहल्ला/ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियाँ, महिला व बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान और स्थानीय पुलिस के साथ नियमित संवाद अपराध रोकने में सहायक है।
- संदिग्ध गतिविधि, बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा अथवा तस्करी की आशंका होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन, चाइल्डलाइन (1098) या महिला हेल्पलाइन (1091/181) को सूचित करें।

(1) पुलिस/हेल्पलाइन को सूचना/शिकायत दर्ज कराना → (2) FIR दर्ज कराना → (3) जांच में सहयोग (गवाह/बयान) → (4) समय पर न्याय सुनिश्चित

नागरिक सहायता एवं संपर्क सूचना

किस समस्या के लिए कहाँ जाएँ और किसे कॉल करें ?



विवरण	हेल्पलाइन पोर्टल
पुलिस आपातकालीन सहायता (आपातकालीन रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम)	100/112
महिला हेल्पलाइन	1091/181
चाइल्ड हेल्पलाइन (बाल सहायता)	1098
साइबर अपराध हेल्पलाइन	1930
निःशुल्क कानूनी सहायता – NALSA, SLSA, DLSA	15100
ऑनलाइन साइबर अपराध शिकायत पोर्टल	cybercrime.gov.in
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न-शी-बॉक्स पोर्टल	she-box.wcd.gov.in

न्याय संहिता

'सुरक्षित नागरिक, संरक्षित अधिकार और समयबद्ध न्याय'

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS